

**Speed post /त्रिव डाक**

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय  
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter/उल्लंघन पत्र**

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhapura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/16/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: /11/2023

प्रेषित: खान एजेंट,

राजश्री-1 चुना पत्थर खान,

मेसर्स: अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड, यूनिट-बिरला वाईट,

D-7, शास्त्री नगर, जोधपुर, राजस्थान-306709

(e-mail: [alok.nigam@adityabirla.com](mailto:alok.nigam@adityabirla.com), [gopi.dhayal@adityabirla.com](mailto:gopi.dhayal@adityabirla.com))

विषय: राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी राजश्री-1 चुना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 21/12/2023 by undersign and Sri Ajay Jatolia, AME in presence of Sri Gopi Dhayal, Mine Head, Shri Bhawani Singh, Mine Manager and Shri A.S. Raliya, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Review of Mining Plan approved on 10/12/2021 to the extent given below for the year 2022-23:</p> <p>(1) The Pit-5 was proposed to develop in the western direction, whereas the Pit-5 has been developed in the Southern direction.</p> <p>(2) The waste dumping was proposed near boundary pillar-X, whereas waste dumping was carried out over non-approve area i.e in southern side of the Pit-5.</p> <p>(3) An area of 16.32 hectare has been proposed to use under mining (excavation) and an area of 19.78 hectare has been used under mining (opencast working) as per submitted annual return for the year 2022-23. Resulting deviation in area of mining/excavation.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

I/24360/2024

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक

भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक

भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर